उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे०आ०–सा०नि०) अनुभाग–7
संख्या:/192925/XXVII(7)/ई–50417/2023
देहरादून, दिनांक 23 फरवरी, 2024

कार्यालय ज्ञाप

वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 204/XXVII(7)/25(03)2013 दिनांक 28.10.2016 के द्वारा राजकीय विभागों के वैयक्तिक सहायक संवर्ग के ढांचे में स्टाफिंग पैटर्न लागू किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त लिए गए निर्णय के क्रम में राजकीय विभागों के वैयक्तिक सहायक संवर्ग के ढांचे में निम्नवत् संशोधित स्टाफिंग पैटर्न लागू किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

क्र. सं.	पदनाम	वेतनमान/ ग्रेड वेतन	पुनरीक्षित वेतनमान/ वेतन लेवल	वर्तमान में स्थापित स्टाफिंग पैटर्न	संशोधित स्टाफिंग पैटर्न
1.	वैयक्तिक सहायक	5200–20200 ग्रेड वेतन–2800	29200–92300 लेवल–5	44	44
2.	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	9300–34800 ग्रेड वेतन–4200	35400–112400 लेवल–6	35	32
3.	वैयक्तिक अधिकारी	9300–34800 ग्रेड वेतन–4600	44900–142400 लेवल–7	15	11
4.	वरिष्ठ वैयक्तिक अधिकारी	9300–34800 ग्रेड वेतन–4800	47600–151100 लेवल–8	–	07
5.	मुख्य वैयक्तिक अधिकारी	15600–39100 ग्रेड वेतन–5400	56100–177500 लेवल–10	06	06

2. सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों द्वारा उक्तानुसार सुसंगत सेवा नियमावलियों में यथाप्रक्रिया संशोधन कर लिया जायेगा।

3. उक्तानुसार स्टाफिंग पैटर्न लागू किए जाने हेतु प्रशासकीय विभागों द्वारा वित्त विभाग की सहमति से शासनादेश निर्गत किए जाएंगे।

4. उक्त वर्णित कार्यालय ज्ञाप सं० 204/XXVII(7)/25(03)2013 दिनांक 28.10.2016 सपठित शासनादेश संख्या–131/XXVII(7)35(3)/2013 दिनांक 14.07.2016 एवं शासनादेश संख्या–875/XXVII(7) न०प्रति०/2011 दिनांक 08.03.2011 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

Signed by Dilip Jawalkar
Date: 22-02-2024 17:42:30

(दिलीप जावलकर)
सचिव।

संख्या:192925/XXVII(7)/ई–50417/2023, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, विधानसभा सचिवालय, उत्तराखण्ड।
5. महानिबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
6. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, कोषागार, पेंशन व हकदारी, देहरादून।

आज्ञा से,
Signed by Ganga Prasad
Date: 22-02-2024 17:44:16
(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव।

Generated from eOffice by SANDEEP KUMAR, RO-Finance Section 7-SK, REVIEW OFFICER, Finance Department on 23/02/2024 10:07 AM

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2
संख्याः 251143 / XXX(2)/2024–E67683
देहरादूनः दिनांक 30 अक्टूबर, 2024

अधिसूचना संख्या 251123 / XXX(2)/2024–E67683, दिनांक 30 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत वैयक्तिक सहायक संवर्गीय पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण (संशोधन) नियमावली, 2024 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड
4. प्रमुख सचिव/सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
7. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8. महानिदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।
9. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल।
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखण्ड।
12. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।।
13. सचिव, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून
14. सचिव, उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, देहरादून।
15. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
16. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
17. प्रभारी, मीडिया सैन्टर, सचिवालय परिसर ।
18. गार्ड फाईल।

संलग्नकः यथोक्त।

आज्ञा से,

Signed by
Lalit Mohan Rayal
Date: 30-10-2024 16:33:52

(ललित मोहन रयाल)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2
संख्या: 251123 /XXX(2)/2024-E 67683
देहरादून: दिनांक: 30 अक्टूबर, 2024

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत वैयक्तिक सहायक संवर्गीय पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण नियमावली, 2018 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात :–

उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत वैयक्तिक सहायक संवर्गीय पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण (संशोधन) नियमावली, 2024

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ — 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत वैयक्तिक सहायक संवर्गीय पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण (संशोधन) नियमावली, 2024 है;

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 4 का संशोधन — 2. उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत वैयक्तिक सहायक संवर्गीय पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण नियमावली, 2018 में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 4 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(1) मुख्य वैयक्तिक अधिकारी– मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वैयक्तिक अधिकारी, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 01 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 25 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से "अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता" के आधार पर पदोन्नति द्वारा।	(1) मुख्य वैयक्तिक अधिकारी– मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वरिष्ठ वैयक्तिक अधिकारी, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 01 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 22 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से "अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता" के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

(2) वैयक्तिक अधिकारी– मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 02 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 20 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से "अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता" के आधार पर पदोन्नति द्वारा।	(2) वरिष्ठ वैयक्तिक अधिकारी– मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वैयक्तिक अधिकारी, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 02 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 20 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से "अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता" के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
(3) वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक– मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वैयक्तिक सहायक, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 06 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से "अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता" के आधार पर पदोन्नति द्वारा।	(3) वैयक्तिक अधिकारी– मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 02 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 15 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से "अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता" के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
	(4) वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक– मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वैयक्तिक सहायक, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 06 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से "अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता" के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

Signed by
Anand Bardhan
Date: 30-10-2024 16:26:48

(आनन्द बर्द्धन)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या: 540 / XIII-1 / 2017-03(16)2006

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग-1 देहरादून दिनांक 26 मई, 2017

विषयः-कृषि विभाग में वैयक्तिक सहायक संवर्ग के ढांचे का पुर्नगठन किये जाने संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-कृ.नि./7212/स्था०/आशु०/2016-17 दिनांक 18.11.2016 एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-204/XXVII(7)35(3)/2013 दिनांक 28.10.2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-1210/XIII-1/2016- 03(16)2006 दिनांक 15.09.2016 में आशुलिपिक संवर्ग के वर्तमान विद्यमान चार स्तरीय संवर्गीय ढांचे में पदों को 44: 35: 15: 06 के अनुपात में विभाजित करते हुये निम्नानुसार चार-स्तरीय ढांचे का पुनर्गठन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र स	पदनाम	पुनरीक्षित वेतन संरचना (रू0)		पदों की संख्या	शैक्षिक अर्हता एवं भर्ती/पदोन्नति की प्रकिया
		वेतनमान	ग्रेड वेतन		
1	2	3	4	5	6
1.	वैयक्तिक सहायक	5200-20200	2800	12	(1) सीधी भर्ती द्वारा। (2) शैक्षिक अर्हता- पूर्ववत्।
2	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	9300-34800	4200	09	वैयक्तिक सहायक के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे कार्मिकों में से, जिन्होंने इस रूप में न्यूनतम 08 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को छोड़ते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
3	वैयक्तिक अधिकारी	9300-34800	4600	04	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक के पदों पर नियुक्त ऐसे कार्मिकों में से, जिन्होंने इस रूप में न्यूनतम 05 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा अधीनस्थ पदों पर कुल 15 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को छोड़ते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
4.	मुख्य वैयक्तिक अधिकारी	15600-39100	5400	02	वैयक्तिक अधिकारी के पद पर नियुक्त ऐसे कार्मिकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 03 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो तथा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 25 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को छोड़ते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
			योग	27	

कृषि निदेशालय
पत्र प्राप्ति सं0 253
दिनांक 27/05/17
उत्तराखण्ड, देहरादून

D:\Office Work\Kapurwan ji\YEAR 2017\G.O.doc Ibid - 46 -

क्रमशः पृष्ठ-2

2. उक्त शासनादेश दिनांक 28.10.2016 के अनुसार पदों की अर्हताओं के विषय में आवश्यक व्यवस्था तथा पदों की उक्तानुसार व्यवस्था के अनुरूप संबंधित सेवा नियमावली में भी तत्काल कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3. स्टाफिंग पैटर्न लागू होने के फलस्वरूप उक्त पद धारकों को वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ अतिरिक्त रूप में अनुमन्य नहीं होगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अ०शा०सं०-150/XXVII(7)/2017, दिनांक 23 मई,2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्याः 540 (1)/XIII-1/2017-03(16)2006/तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा),उत्तराखण्ड, इन्दिरा नगर देहरादून।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन, उत्तराखण्ड।
4. आयुक्त गढ़वाल मण्डल एवं कुमांऊ मण्डल।
5. वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड।
6. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल/संयुक्त कृषि निदेशक, कुमांऊ मण्डल, हल्द्वानी।
7. समस्त जिलाधिकारी/समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त मुख्य कृषि अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. वित्त(वे0आ0सा0नि0) अनुभाग-7, उत्तराखण्ड शासन।
11. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह परमार)
अनु सचिव